


11/9/19 पत्रावली पेश हुई। वकील रैपोर्ट उपस्थित। वकील अपील या अपीलेशन में से कोई उपस्थित नहीं कर रहे।

न्यायालय समस्त तक इंतजार किया मगर फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनकी अनुपस्थिति के कारण अपील खारिज होगी।

दिनांक 20/9/19 को न्यायालय में कस हेतु वकील अपील की अनुपस्थिति के बावजूद भी अंतिम अवकाश प्राप्त हुआ है। आज फिर अपील या अपीलेशन में से कोई भी उपस्थित नहीं हुए हैं। लिहाजा अपील कस हाजरी एवं कस पेशी में खारिज की जाती है।

पत्रावली जैतल शुभार होकर नंबर से कस हो। बाद नकली दाखिल दफ्तार हो।


राजस्व अपील प्राधिकारी
- बाड़मेर



Wan
d. रैपोर्ट
11/9/19
अवनीशंकर